



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-29112022-240637
CG-UP-E-29112022-240637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5287]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944

No. 5287]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

रेल मंत्रालय

उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)

अधिसूचना

प्रयागराज, 28 नवम्बर, 2022

का.आ. 5517(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.-	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अलीगढ़ – दाउद खां तीसरी रेल लाइन (6.9 किमी) एवं दाउद खां में फ्लाई ओवर का निर्माण	उत्तर प्रदेश
2.	अलीगढ़ – हरदुआगंज फ्लाईओवर का निर्माण (22 किमी)	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(मिस.)/55/2022-ओ/ओ सी.ई./कांस्ट/नार्थ/एच.क्यू./एनसीआर (कम्प्यूटर सं. 71372)]

मंजुल माथुर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
NORTH CENTRAL RAILWAY (CONSTRUCTION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 28th November, 2022

S.O. 5517(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Aligarh-Daud Khan 3 rd line (6.9 km) and construction of flyover at Daud Khan	Uttar Pradesh
2.	Aligarh-Harduaganj Flyover (22 Km)	Uttar Pradesh

[F. No. . NCR-HQ0CENG(MISC)/55/2022-O/O CE/CONST./NORTH/HQ/NCR (Computer No.71372)]

MANJUL MATHUR, Chief Admn. Officer (Construction)